



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 फाल्गुन, 1943 (श०)

संख्या - 99 राँची, सोमवार,

7 मार्च, 2022 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

3 नवम्बर, 2021

संख्या-08/FSL(07)-15/2019-4145--भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल एतद् द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या-5430, दिनांक-18.10.2019 द्वारा अधिसूचित झारखण्ड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियमावली, 2019 में संशोधन करते हुए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-3849, दिनांक-10.08.2021-सह-असाधारण गजट संख्या-418, दिनांक-12.08.2021 के आलोक में उक्त अधिसूचना की कंडिका-6, (i) (b) में अंकित प्रावधान-संलग्न परिशिष्ट-I के क्रम संख्या-1 से 14 में अंकित वैज्ञानिक सहायक के मूल पद पर नियुक्ति से संबंधित शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त निम्नवत् प्रावधान जोड़ा जाता है:-

“उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा ।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा ।”

2. झारखण्ड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियमावली, 2019 एवं परिशिष्ट-I के शेष प्रावधान यथावत् रहेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राजीव अरूण एक्का,
सरकार के प्रधान सचिव ।
